न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारीः— सन्तोष कुमार गोयल (आर.ए.एस.)
दावा संख्याः— 110 / 2018
दायर दिनांकः— 08.02.2018
निर्णय दिनांकः— 26.02.2018

उनवान

मन्दिर श्री सीताराम जी विराजमान ग्राम झेरा तहसील दौसा जरिये राजस्थान सरकार जरिये देवीसिंह पुत्र श्री छिंगाराम जाति जाटव निवासी बयाना दरवाजा वैर जिला भरतपुर तहसीलदार दौसा भूमिधारक

बनाम

1. सियाराम
2. बाबूलाल पुत्रान जगन्नाथ जाति हरियाणा ब्राहम्ण निवासी झेरा तहसील दौसा

दावा बेदखली अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

भूमिधारी तहसीलदार दौसा ने बेदखली का वाद पेश किया हैं जिसमें संक्षिप्त वृतान्त इस प्रकार हैं कि ग्राम झेरा तहसील दौसा के आराजी खसरा नं0 355 / 508 रकबा 0.23 हैं0 भूमि स्थित हैं। जिसकी खातेदारी माफी मन्दिर श्री सीतारामजी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रिकॉर्ड हैं। मन्दिर श्री सीतारामजी शाश्वत नाबालिग हैं। प्रतिवादीगण का मन्दिर श्री सीतारामजी की खातेदारी भूमि में से कोई लेना—देना नहीं हैं परन्तु प्रतिवादीगण ने लाठी व ताकत के बल पर मन्दिर की भूमि पर जबरन कब्जा कर रखा हैं तथा फसल काश्त कर रखी हैं। जबकि मन्दिर श्री सीतारामजी की भूमि पर अतिक्रमण करने व कब्जा करने का कोई अधिकार प्रतिवादीगण का नहीं हैं। प्रतिवादीगण द्वारा वर्तमान में रबी फसल में मन्दिर माफी श्री सीतारामजी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि में जौ, गेहूँ की फसल काश्त की हुई हैं जो काफी बडी—बडी हो गयी हैं जो कानूनन मन्दिर माफी की जमीन पर किसी अन्य व्यक्ति को फसल काश्त करने का एवं उस पर कब्जे करने का कोई हक एवं अधिकार नहीं हैं। परन्तु मन्दिर श्री सीतारामजी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि पर प्रतिवादीगणों द्वारा जान बूझकर कब्जा करने की नियत से उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा फसल जौ, गेहूं की काश्त कर रखी हैं। वादी को उक्त तथ्य की जानकारी होने के पश्चात् दिनांक 29.01.2018 को वादी तहसीलदार दौसा बहैसियत भूमिधारी मौके पर जाकर पर्चा मौका बनाया गया जिससे यह साबित हैं कि प्रतिवादीगण द्वारा मन्दिर श्री सीताराम जी की भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया गया हैं जिसको बेदखल किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं।

सहायक कलेक्टर
दौसा

दिनांक 29.01.2018 को वादी ने बहैसियत भूमिधारी प्रतिवादीगण को माफी मन्दिर की भूमि से फसल जौ, गेहूं को नष्ट कर अतिक्रमण हटाने व कब्जा छोडने से मना कर दिया इसलिए बिनायदावा पैदा होकर दावा करना लाजिम आया। बेदखली की डिक्री इस आशय की पारित की जावे कि ग्राम झेरा तहसील दौसा में स्थित भूमि में खसरा नम्बर 355/508 रकबा 0.23 है0 भूमि पर प्रतिवादी ने जबरन कब्जा कर रखा हैं। जिस पर से जरिये पुलिस इम्दाद फसल जौ, गेहूं नष्ट कर प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर वादी को वास्तविक कब्जा मौके पर कराया जावे।

वादी के द्वारा वाद पेश करने पर प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। प्रतिवादीगण बावजूद तामिल के अदालत में उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कार्यवाही की गयी।

वादी की ओर से तहसीलदार दौसा को सुना गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। तहसीलदार दौसा के तर्कों पर मनन किया गया। वादग्रस्त भूमि मन्दिर श्री सीतारामजी की खातेदारी भूमि हैं। मन्दिर श्री सीतारामजी शाश्वत् नाबालिग हैं जिसके हितो की रक्षा करना भूमिधारी एवं न्यायालय के क्षेत्राधिकार में हैं। मन्दिर माफी की भूमि पर प्रतिवादीगण का कोई हक व अधिकार नहीं हैं।

वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं तथा तहसीलदार दौसा को आदेश दिया जाता हैं कि प्रतिवादीगण को मन्दिर माफी श्री सीताराम जी की भूमि ग्राम झेरा तहसील दौसा स्थित खसरा नम्बर 355/508 रकबा 0.23 है0 भूमि से फसल नष्ट किया जाकर बेदखल किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमिल प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

सन्तोष कुमार गोयल (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
(कार्यवाहक) दौसा